कार्यालय जिलाधिकारी मऊ।

पत्रांक 502 /डी0एल0आर0सी0–मऊ दिनांक : 20 नवम्बर, 2018

अधिशासी अभियन्ता/
परियोजना प्रबंधक
निर्माण ईकाई उ0प्र0
आवास एवं विकास परिषद
आज़मगढ़।

---

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 व शासनादेश सं0 32/744/एक–1– 2016–20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर 5(11) में उल्लेख किया गया है कि आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमियों को पुनर्ग्रहीत कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण को आवासीय नितियों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि संबंधित विकासकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और विकासकर्ता का उक्त भूमि तृतीय पक्ष के लिए हस्तानान्तरित करने की छूट होगी और इस हेतु शासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारण के प्रबंधन में निहित है तो तृतीय पक्ष को बिना पुनर्ग्रहण आदेश के हस्तानान्तरित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या 1252/आठ–4–2018–137एन/2013 दिनांक 17 जुलाई 2018 के प्रस्तर–4 में उल्लेख किया गया है कि प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु नज़ूल भूमि से संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को पट्टे पर अन्तरण किये जाने की दशा में 30–30 वर्ष के दो मध्यवर्ती नवीनीकरण सहित कुल 90 वर्ष की लीज अवधि हेतु एक रूपये के सांकेतिक प्रीमियम पर हस्तानान्तरित की जायेगी।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 17 जुलाई 2018 के अनुपालन में ग्राम बढ़ुआगोदाम में स्थित गाटा सं0 658 रकबा 1.162 हे0 में से रकबा 0.640 हे0 भूमि 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टा विलेख जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षरोंपरान्त (भूमि के पट्टे का प्रारूप ) एग्रीमेन्ट की मूल प्रति आपको इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि उप निबंधक कार्यालय सदर से रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट कराते हुए रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट की छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : एग्रीमेन्ट की मूलप्रति।

अपर जिलाधिकारी
मऊ।

पत्रांक /तद्दिनांक।
प्रतिलिपि :– उप निबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी
मऊ।

Scanned with CamScanner